न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी : डॉ रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या –61/2023 (अपील)

जीसीएमएस नं0 2023/255

हीरालाल आत्मज श्री कृष्ण कलाल जाति कलाल, निवासी शिव नगर, लाखेरी जिला बून्दी राज0

––अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये उपवन संरक्षक, वन मण्डल, कोटा

––रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 बनाराजगी आदेश दिनांक 27.09.2023 मि0नं0 90/23 उपवन संरक्षक,वन मण्डल कोटा, कार्यवाही धारा 91 भू रा0 अधि0

उपस्थिति

1. श्री विरेन्द्र कुमार राठौड़, अभिभाषक अपीलान्ट
2. विभागीय प्रतिनिधि

निर्णय

दिनांकः–16.07.2024

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय उप वन संरक्षक, वन मण्डल कोटा द्वारा ग्राम नाका नयागांव अधीन वन खण्ड आवंली रोजडी के ग्राम नयागांव के ख0नं0 118,119 की 0.16 हे0 वन भूमि में अतिक्रमण की रिपोर्ट क्षैत्रीय वन अधिकारी लाडपुरा के आधार पर धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अर्न्तगत वन भूमि पर अतिकमी मानते हुए प्रकरण संख्या 90/2023 दर्ज कर अपीलान्ट को अतिक्रमण की गई भूमि से बेदखल किया जाकर 3000/– शास्ति आरोपित करते हुए दिनांक 27.09.2023 को निर्णय पारित किया है।

2. उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह अपील दिनांक 09.11.2023 को पेश की गई है कि रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट को धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत इस आशय का नोटिस प्रेषित किया कि अपीलान्ट ने नाका नयागांव चैक पोस्ट अधीन वन खण्ड आवंली रोझडी के गांव नयागांव के खसरा नम्बर 118 व 119 की 0.16 हे0 वन भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर बाडबंदी कर अतिक्रमण कर रखा है और अपीलान्ट को बेदखल करने तथा सख्त सजा देने आदि तथ्यों के आधार पर नोटिस प्रेषित किया है, अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया, जिसके आधार पर एक पक्षीय रूप से अधीनस्थ न्यायालय ने बेदखल करने तथा 3000/– शास्ति जुर्माना आरोपित कर दिनांक 27.9.2023 को निर्णय पारित किया । जिसकी अप्रसन्नता में यह अपील प्रस्तुत की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय का उक्त निर्णय विधि न्याय, संविता व कानून के प्रावधान के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है ।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

जिला कलेक्टर
कोटा

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अपील अपील मेमो में अंकित तथ्यों को ही दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट अतिक्रमी नहीं है । जिस भूखण्ड पर अपीलान्ट काबिज है, उक्त भूखण्ड ग्राम पंचायत बोराबांस में आबादी भूमि को दिनांक 16.11.1972 को महेन्द्र कुमार एवं मदनलाल को पृथक पृथक 150 गुणा 200 वर्गफीट का चयन किया गया था, रेस्पोडेन्ट केवल जमाबन्दी के आधार पर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर बेदखल करना चाहता है जबकि उक्त भूखण्ड दिनांक 16.11.1972 को ग्राम पंचायत बोराबांस ने विक्रय किया है जिसको पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत विक्रय का अधिकार था तथा उक्त वन अधिनियम के बावत माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त गोडावरमन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया में यह निर्देश व आदेश पारित किया है कि वन अधिनियम दिनांक 25.10.1980 के पश्चात प्रभावी माना जायेगा और उक्त अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व कोई भी भू–भाग सक्षम जिला कलेक्टर, ग्राम पंचायत आदि के द्वारा आवंटित किया गया हो, तो उन्हें उक्त अधिनियम के प्रभाव से पूर्व आवंटन व विक्रय करने का अधिकार था, उपरोक्त तथ्यों को अधीनस्थ न्यायालय ने नजर अंदाज किया । उक्त संपत्ति नयागांव में स्थित है जो कुल 60,000 वर्गफीट है जो मैन रोड पर 400 फीट है तथा इस भूखण्ड की गहराई 150 फीट है जो कि 150 गुणा 400 = 60,000 वर्गफीट है । यह कॉर्नर भूखण्ड है जो आवासीय व वाणिज्यक उपयोग लायक है । यह भूखण्ड ग्राम पंचायत बोराबांव का था, जिसे दो भागों में तत्कालीन सरपंच बसन्तीलाल ने 150 गुणा 200 फीट गजेन्द्र कुमार संभरलाल व 150 गुणा 200 फीट मदनलाल मेवाडा को दिनांक 16.11.1972 को पंचायत बोराबांस के जरिये बेचा था, जिसके पट्टे व नक्शे एनेक्चर 1 व2 है । गजेन्द्र संवरलाल ने अपनी उक्त भूमि 150 गुणा 200 फीट में से 150 गुणा 100 वर्गफुट जमीन श्री हीरालाल पुत्र श्री कृष्ण कलाल को कुल 15000 वर्गफीट जमीन जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.2.1983 को बेच दी । वह विक्रय पत्र एजेक्चर–3 है । गजेन्द्र संभरवाल ने अपनी शेष जमीन 15000 वर्गफीट जमीन दिनांक 22.5.1999 को जरिये इकरारनामा सुशील कुमार पुत्र मदनलाल मेवाडा को विक्रय कर दी । यह इकरारनामा एनेक्चर–5 है । इस जमीन के विषय में न्यायालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश कोटा का दिनांक 26.7.1997 को जरिये राजीनामा एक आदेश पारित किया जिसमें यू आई टी कोटा इस भूखण्ड पर स्थायी रूप से बेदखली के पाबंद किया , यह फैसला भू स्वामी के पक्ष का है । यह दस्तावेज एनेक्चर 6 है । दिनांक 9.10.1997 को मुंसिफ दक्षिण कोटा का एक निर्णय व डिग्री भी इस भूखण्ड के संबंध में पारित हुआ । जिसमें भू स्वामी को उक्त भूखण्ड से बेदखल नहीं करने का आदेश पारित किया । यह आदेश भी भूथ्वामी के पक्ष का है जिसके विवेचन में उक्त भूखण्ड बिना किसी विवाद के भू स्वामी का माना है । उक्त निर्णय एक पक्षीय रूप से पारित किया गया है जिसकी अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी । दिनांक 25.10.2023 को रेस्पोडेन्ट ने उक्त निर्णय के आधार पर बेदखल करने का प्रयास करने पर अपीलान्ट ने दिनांक 26.10.2023 को नकल का आवेदन पेश कर दिनांक 31.10.2023 के अनुसार अवधि मध्य प्रस्तुत है ।

5. रेस्पोडेन्ट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि द्वारा अपनी बहस मे कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा क्षैत्रीय वन अधिकारी लाडपुरा की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट द्वारा वन भूमि नाका नयागांव चैकपोस्ट अधीन वनखण्ड आंवली रोझडी के ग्राम नयागांव में खसरा नं0 118 व 119 की रकबा 0.0016 हे0 पर कब्जा कांश्त होने की रिपोर्ट के आधार पर बेदखली एवं जुर्माना 3000/– शास्ति के दण्ड से दण्डित किया है । वन विभाग द्वारा खसरा नम्बर 118 व 119 की 0.0016 हे0 वन भूमि पर नाजायज कब्जा करने पर बेदखली व शास्ति की कार्यवाही की गई है । यह भूमि वन विभाग की भूमि है जो राजस्व रेकार्ड में वन विभाग के नाम दर्ज है । ग्राम पंचायत को पट्टा जारी करने का कोई अधिकार नहीं है । अपील अस्वीकार योग्य होने से खारिज फरमाई जावें ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । यह अपील उपवन संरक्षक वन मण्डल कोटा के निर्णय दिनांक 27.09.2023 के विरूद्व दिनांक 09.11.2023 को पेश की गई है । विलम्ब के लिए लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है तथा अपीलाधीन आदेश की प्रथम जानकारी दिनांक 25.10.2023 को रेस्पोडेन्ट ने उक्त निर्णय के आधार पर बेदखल करने का प्रयास करने पर होना बताया है । अपीलान्ट द्वारा विलम्ब के लिए कोई ठोस आधार नहीं बताया है किन्तु न्यायहित को ध्यान में रखते हुए तथा गुणावगुण पर निर्णय के आधार पर लिमिटेशन की धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर अवधि मानी जाती है ।

7. अपीलान्ट का अपनी बहस में मुख्य कथन है कि रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट को धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत इस आशय का नोटिस प्रेषित किया कि अपीलान्ट ने नाका नयागांव चैक पोस्ट अधीन वन खण्ड आवंली रोझडी के गांव नयागांव के खसरा नम्बर 118 व 119 की 0.16 हे0 वन भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर बाडबंदी कर अतिक्रमण कर रखा है और अपीलान्ट को बेदखल करने तथा सख्त सजा देने आदि तथ्यों के आधार पर नोटिस प्रेषित किया है, अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं देना बताया तथा एक पक्षीय रूप से अधीनस्थ न्यायालय ने बेदखल करने तथा 3000/– शास्ति जुर्माना आरोपित कर दिनांक 27.9.2023 को निर्णय पारित किया जाने का कथन किया है । अपीलांट का कथन है कि उक्त भूमि पर ग्राम पंचायत बोराबांस द्वारा पट्टा भी जारी किया गया है तथा जिला एवं सेशन न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.7.1997 नगर विकास न्यास कोटा को भूखण्ड से बेदखल नहीं करने बाबत कथन किया है । किन्तु राजस्व रेकार्ड के अनुसार तो यह भूमि वन विभाग की है, यह भूमि नगर विकास न्यास की नहीं होने से वन विभाग अतिक्रमी को बेदखल करने के लिए स्वतंत्र है । कोई भी ग्राम पंचायत अथवा संस्था वन विभाग की भूमि पर आबादी हेतु पट्टा जारी नहीं कर सकती है यदि पट्टा जारी भी किया जाता है तो वह प्रभाव शून्य है । अपीलांट का यह कथन असत्य है कि उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया है जबकि अपील में स्वयं ने स्वीकारा है कि वन विभाग द्वारा उन्हें नोटिस प्रेषित किया है । वन विभाग द्वारा अतिक्रमी को बेदखली एवं शास्ती का पारित आदेश उचित है । अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार योग्य पाते है ।

8. परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार करने के पर्याप्त एवं ठोस आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय उप वन संरक्षक कोटा का निर्णय दिनांक 27.09.2023 में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं होने से यथावत रखा जाता है ।

9. निर्णय आज दिनांक 16.07.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)

जिला कलक्टर, कोटा

जिला कलेक्टर
कोटा